HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 10132/2026
CNR: RJHC020595832026 | URN: CRLMB / 18810U / 2026

Dinesh Kumar S/o Mukutlal, Aged About 56 Years, R/o Ward No. 15, Gurjar Mohalla, Kherli Rail, Alwar (Raj.).
(At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Non-Petitioner

For Petitioner(s)	:	Mr. Chandra Shekhar Mr. Ajay Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

24/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना नारायणपुर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 22 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट) में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.11.2025 तथा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सहअभियुक्त गौरव खत्री को मादक पदार्थ दिया। सहअभियुक्त गौरव खत्री का एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13276/2025 आदेश दिनांक 15.12.2025 के द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। पीडब्ल्यू 1 सोहनलाल ने अपने बयान में यह कहा है कि मैंने आरोपी गौरव खत्री के बैंक

अकाउंट का कोई स्टेटमेंट शामिल पत्रावली नहीं किया। ऐसी स्थिति में गौरव खत्री से मादक पदार्थ के संबंध में पैसे प्रार्थी/अभियुक्त ने लिए हों यह स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का विचारण सक्षम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नहीं होने के कारण से नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.09.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण सोमदत्त जाट, सुरेश पायला व मानसिंह गुर्जर के कब्जे से मादक पदार्थ Dicyclomine HCl, Tramadol HCl amp Acetaminophen Capsules (Proxyco SPAS) के कुल 878 कैप्सूल (कुल वजन 412.66 ग्राम) बरामद किये गये हैं, जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। उक्त मादक पदार्थ को प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश ने सहअभियुक्त गौरव खत्री को विक्रय किया। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त गौरव खत्री के मामले से भिन्न है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी व फर्द जब्ती से संबंधित साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश अग्रवाल अवैध नशीले मादक पदार्थ सहअभियुक्त गौरव खत्री को विक्रय करता था और गौरव खत्री के माध्यम से मादक पदार्थ अन्य सहअभियुक्तगण को भेजा जाता था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश अग्रवाल द्वारा गौरव खत्री को अवैध ट्रमाडोल कैप्सूल अलग–अलग तारीख को देना बताया गया है, जिनका पेमेंट नगद व फोन–पे पर प्राप्त करना प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश अग्रवाल द्वारा बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश की धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर उसने सहअभियुक्त गौरव

खत्री को मादक पदार्थ ट्रमाडोल के कैप्सूल खेड़ली व अलवर में बेचे थे। इस प्रकार अनुसंधान से यह तथ्य प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश ही मुख्य अभियुक्त है, जिसने मादक पदार्थ लाकर गौरव खत्री को दिया। ऐसी स्थिति में सहअभियुक्त गौरव खत्री व प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश का मामला समान प्रकृति का नहीं माना जा सकता है।

जहां तक प्रश्न सहअभियुक्त को ज़मानत पर रिहा किये जाने का है इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायलय के द्वारा पारित विनिश्चय "Tarun Kumar Vs Assistant Director Directorate of Enforcement" 2023 SCC OnLine SC 1486 के पैरा क्रमांक 18 में निम्न अभिमत व्यक्त किया गया है;

> *"18. The submission of learned Counsel Mr. Luthra to grant bail to the appellant on the ground that the other co accused who were similarly situated as the appellant, have been granted bail, also cannot be accepted. It may be noted that parity is not the law. While applying the principle of parity, the Court is required to focus upon the role attached to the accused whose application is under consideration."*

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा पारित उपर्युक्त विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि एक न्यायाधीश मात्र समानता (parity) के आधार पर किसी अभियुक्त को जमानत प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही समान परिस्थितियों में स्थित सह–अभियुक्त को जमानत प्रदान करने वाला आदेश कारणयुक्त (reasoned) हो, यदि ऐसा आदेश स्थापित विधिक सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन में पारित किया गया हो तथा जमानत प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रासंगिक कारकों पर विचार न किया गया हो।

विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 19326 दिनांक 13.07.2026 व विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 256 दिनांक 10.07.2026 का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर पीठासीन अधिकारी का पद लंबे समय से रिक्त है। दिनांक 23.07.2025 से न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार अलवर मुख्यालय के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

संख्या 4 के पास रहा है। जो एकान्तर सप्ताह में 3 दिवस अर्थात् माह में 6 दिवस कैम्प कोर्ट आयोजित करते थे। श्रीमती पायल गौतम दिनांक 18.05.2026 से कार्यरत है, परंतु दिनांक 19.05.2026 से श्रीमती पायल गौतम 180 दिवस के मातृत्व अवकाश पर चली गई है और उनके दिनांक 19.05.2026 को मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद आज तक उक्त न्यायालय का किसी पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया गया है, ऐसा तथ्य विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर के पत्र क्रमांक 256 दिनांक 10.07.2026 में बताया गया है। पीठासीन अधिकारी के नियुक्त नहीं होने तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी के मातृत्व अवकाश पर जाने पर दिनांक 19.05.2026 से करीबन 2 माह तक किसी भी पीठासीन अधिकारी को विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर का कार्यभार नहीं दिया जाना बताया गया है। इस कारण से साक्षीगण के बयान प्रकरण में लेखबद्ध नहीं हो पा रहे हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त बिना किसी कार्यवाही के अनावश्यक रूप से अभिरक्षा में चल रहा है। इसके अतिरिक्त विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर के पत्र क्रमांक 256 दिनांक 10.07.2026 का अवलोकन करें तो यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अधिकांशतः तारीख पेशी जब दी गई जब पीठासीन अधिकारी का कैम्प नहीं था। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी का कैम्प नहीं होने के कारण से साक्षीगण के बयान लेखबद्ध नहीं हो पाए तथा साक्षीगण की उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी आदेशिका नहीं लिखी गई। विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर की वर्तमान पीठासीन अधिकारी का मातृत्व अवकाश पर 180 दिवस तक जाने के कारण से दिनांक 19.05.2026 से किसी को भी अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिए जाने के कारण से प्रकरण में साक्षीगण के बचान लेखबद्ध नहीं हो पा रहे हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त को अनावश्यक अभिरक्षा में रहना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जब पीठासीन अधिकारी के कैम्प के दिवस थे, तब भी उक्त दिवसों में भी पत्रावली नियत नहीं रखी गई और न ही इस तथ्य का ध्यान रखा गया कि पत्रावली उस दिन नियत नहीं की जाए जिस दिन पीठासीन अधिकारी का कैम्प नहीं हो इस कारण से भी इस प्रकरण में साक्षीगण के बयान लेखबद्ध किए जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही संपादित नहीं हो पाई। अतः

प्रार्थी/अभियुक्त का अनावश्यक बिना किसी न्यायसंगत उचित कारण न्यायिक अभिरक्षा में रहने व प्रकरण का त्वरित गति से निस्तारण नहीं होने के कारण से प्रार्थी/अभियुक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार का हनन होने के कारण से उसके विधिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला अलवर से यह अपेक्षा की जाती है कि इस तथ्य की सुनिश्चितता करें कि इस प्रकरण को उक्त दिवस नियत नहीं करें जिस दिन पीठासीन अधिकारी का कैम्प दिवस नहीं हो या पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हो या किसी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं हो। विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला अलवर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन समस्त तथ्यों का ध्यान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय को लावें कि पीठासीन अधिकारी के मातृत्व अवकाश पर जाने के कारण से दिनांक 19.05.2026 से पीठासीन अधिकारी का कार्यभार किसी अन्य अधिकारी को भी नहीं दिया गया है। अतः अतिरिक्त कार्यभार दिया जावे। विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर से अपेक्षा की जाती है कि वे नजदीक तारीख पेशी देकर प्रभावी आदेशिका लेखबद्ध कर साक्षीगण के बयानों की सुनिश्चितता कर प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार पुत्र मुकुटलाल** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर व विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी जिला अलवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

10/KISHAN SONI